संशोधन आदेश

संख्या- 64 /2016 / 359 / चार-2016-17(ते0वि0आ0)/2012

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 17 मार्च , 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से सम्बन्धित सामानों व जस्टिस मुखर्जी आयोग से प्राप्त वस्तुओं को नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी,अयोध्या -फैजाबाद में प्रदर्शन एवं वीथिकाओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के मद को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1372 / उ0प्र0सं0नि0-2(40)/2012-13 दिनांक 17 मार्च, 2016 तथा शासनादेश संख्या-58/2016/295/चार-2016-17(ते0वि0आ0)/2012 दिनांक 10 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या-63/2016/359/चार-2016-17(ते0वि0आ0)/2012 दिनांक 17 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-58/2016/295/चार-2016-17(ते0वि0आ0)/2012 दिनांक 10 मार्च, 2016 के प्रस्तर-13 में लेखाशीर्षक में टंकक त्रुटिवश 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं टंकित हो गया है, जिसे अब निम्नवत् पढा जाय:-

" अनुदान संख्या-92- आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय-800-अन्य व्यय- 12-गुमनामी बाबा की सामग्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी भवन में प्रदर्शित किया जाना-24-बृहत निर्माण कार्य मद पढा जाय।"

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 64 /2016 /359 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5 - निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।

6 - अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मिर्जापुर लखनऊ ।

7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।